

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर में गठित समितियों/मंडलों/कार्य समूहों/कार्य बलों का विवरण

क्रम सं	समिति/मण्डल/कार्यकारी समूहों/कार्यबलों के नाम	संरचना		अभ्युक्तियाँ
1	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ	संपर्क अधिकारी	वरि. उपमहालेखाकार/प्रशासन	
		सदस्य	वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (एस.सी./एस.टी. सैल)	
			सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (एस.सी./एस.टी. सैल)	
2	आपदा प्रबंधन समिति	सदस्य	1- महालेखाकार (ले.प.-I)	
			2- महालेखाकार (ले.प.-II)	
			3- महालेखाकार (ले.एवं ह.)	
			5- वरि. उपमहालेखाकार/प्रशासन (ले.प.-I)	
			6- निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद, शाखा कार्यालय राजस्थान, जयपुर	
			7- उप महालेखाकार/प्रशासन (ले.प.-II)	
			8- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ले.प.-I)	
			9- वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय म.ले. (ले. एवं ह.)	
			10- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय), कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद, शाखा कार्यालय राजस्थान, जयपुर	
			11- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सम्पदा (ले.प.-I)	
			12- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन (ले.प.-I)	
			13- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.डी.-I (ले.प.-I)	
			14- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.डी.-III (ले.प.-II)	
			15- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ई.डी.पी.	
			16- वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी., कार्यालय म.ले. (ले.एवं ह.)	

क्रम सं	समिति/मण्डल/कार्यकारी समूहों/कार्यबलों के नाम	संरचना		अभ्युक्तियाँ
3	कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु समिति	अध्यक्षा	श्रीमती मीना कुमारी मीणा, व.उ.म.ले. (प्रशासन), कार्यालय म.ले. (ले.प.-I), राजस्थान, जयपुर फोन.नं.0141-2385237	
		सदस्य/सदस्या	श्री संजीव कुमार सुराणा, उ.म.ले, कार्यालय म.ले. (ले.प.-II) राजस्थान, जयपुर फोन.नं.0141-2385223	
			सुश्री शबनम, सामाजिक कार्यकर्ता (विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति), फ्लैट नं. 106, नमन रेजीडेन्सी-II, कृष्णा सागर, पत्रकार कॉलोनी के पास, मानसरोवर, जयपुर, फोन नं. 0141-2980614	
4	लेखापरीक्षा नियोजन समूह	अध्यक्ष	महालेखाकार (ले.प.-I) राजस्थान, जयपुर	
		विशेष आंगुतक	1-महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर, अथवा उनके प्रतिनिधि, 2-महालेखाकार (ले.प.-II), राजस्थान, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि	
		सदस्य	(i) समूह अधिकारी, (प्रशासन, ए.एम.जी.-I, ए.एम.जी.-II, ए.एम.जी.-III एवं ए.एम.जी.-IV) (ii) व.ले.प.अ. (ए.एम.जी.-I, ए.एम.जी.-II, ए.एम.जी.-III एवं ए.एम.जी.-IV) (iii) व.ले.प.अ. (क्यू.सी.सी.) (iv) व.ले.प.अ (ई.सी.पी.ए.-I, ई.सी.पी.ए.-II, ई.सी.पी.ए.-III एवं ई.सी.पी.ए.-IV) (v) व.ले.प.अ. (डी.पी.सैल-I, डी.पी.सैल-II, डी.पी.सैल-III एवं डी.पी.सैल-IV) (vi) व.ले.प.अ. (डाटा एनालिटिक्स समूह) (vii) व.ले.प.अ. (ए.पी.एवं.आर.सैल) (viii) व.ले.प.अ. (प्रशासन-I)	
5	वीएलसी/आईएफएमएस आँकड़ों की उपलब्धता एवं लेखापरीक्षा में इसकी अनुकूलता का सुझाव देने के लिए समन्वय समिति में नामित सदस्य	सदस्य	उ.म.ले./ए.एम.जी.-IV, कार्यालय म.ले. (ले.प.-I) राजस्थान, जयपुर साथ में अपनी पसंद का एक व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. उ.म.ले./ए.एम.जी.-III, कार्यालय म.ले. (ले.प.-II) राजस्थान, जयपुर साथ में अपनी पसंद का एक व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. उ.म.ले./लेखा, कार्यालय म.ले. (ले. एवं ह.) राजस्थान, जयपुर साथ में एक व.ले.प.अ. एवं आईएफएमएस से सम्बन्धित दो स.ले.प.अ.	

क्रम सं	समिति/मण्डल/कार्यकारी समूहों/कार्यबलों के नाम	संरचना		अभ्युक्तियाँ
6	<p>प्राकृतिक संसाधन लेखांकन कार्य हेतु राज्य सरकार एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित प्राकृतिक संसाधन लेखांकन प्रकोष्ठ हेतु इस कार्यालय से नामित सदस्य</p>	सदस्य	<p>(i) श्री तेग सिंह, वरि. उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-I (ii) श्री मुकेश सिंहल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I (iii) श्री अरविन्द माथुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I (iv) श्री सतीश चन्द रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV (v) श्री राजन भाटिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III</p>	
7	<p>प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर के जीएसटी पर समन्वय समिति</p>	सदस्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद 2. महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर 3. निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद, शाखा कार्यालय, जयपुर 4. उ.म.ले./ ए.एम.जी.-IV, कार्यालय म.ले. (ले.प.-I) राजस्थान, जयपुर 5. प्रधान निदेशक (आरटीआई), जयपुर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 	<p>फील्ड स्तरीय अनुभवों को साझा करने एवं दोनों कार्यालयों में परस्पर समन्वय को सुनिश्चित करने / मुख्यालय कार्यालय के निदेशक (निरीक्षण) के निर्देशों के अनुसरण में जी.एस.टी. प्रणाली तथा पूर्व कर प्रणाली के आंकड़ों के जानार्जन हेतु।</p>